न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०, जेवर गौतमबुद्धनगर

उपस्थितः नाज़िम अकबर (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J.O.CODE-UP3328
Bail Appl. No.-562/2023
CNR-UPGB120022432023

सरकार बनाम नेत्रपाल सिंह उर्फ नित्तर
मु.अ.सं.-159/2023
धारा-120B भा.द.सं. व 14 विदेशी अधि.
थाना-रबूपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर

<u>दिनांक–06.07.2023</u>

1. आज अभियुक्त **नेत्रपाल सिंह उर्फ नित्तर पुत्र विशम्बर सिंह** की ओर से द्वारा अधिवक्ता मु.अ.सं.-159/2023, अन्तर्गत धारा-120B भा.द.सं. व 14 विदेशी अधि., थाना-रबूपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमा में झूंठा फंसाया गया है।

4. सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया। परिशीलन से विदित होता है अभियुक्त अपराध अन्तर्गत धारा-120B भा.द.सं. व 14 विदेशी अधि. से आरोपित है। अभियुक्त दिनांक 04.07.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***<u>Satender Kumar Antil vs Central Bureau Of Investigation & Anr. Reported,</u> (2021) 10 SCC 773*** में दी गयी विधि व्यवस्था एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्त **नेत्रपाल सिंह उर्फ नित्तर पुत्र विशम्बर सिंह** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा 30,000/- रूपये (30 हजार रूपये) के दो प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

सिविल जज (जू0 डि0)/जे0 एम 0
जेवर, गौतमबुद्धनगर।

Digitally signed by Nazim Akbar
Date: 2023.07.05 17:10:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court